

14.08.25

पत्रावली वैश डुई । वकील प्रार्थी या प्रार्थी
संघ उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए । अतः प्रार्थी का यह शब्द
इसी स्तर पर अदम पैरवी- अदम हाजिरी में
खातिज किया जाता है । पत्रावली बाद तरीक
तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर सुले न्यायालय
में सुनाया गया ।

(सुनीलकुमार चौधान)
RAS